माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 445/02/सम्ब0/MSU/2025–26 दिनांक : 29-5-25

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

शीर्ष प्राथमिकता/तत्काल

विषय – महाविद्यालय में नियुक्त शिक्षक, प्राचार्य, प्रबन्ध समिति एवं अन्य विवरण प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या –1823 प्रशा0/MSU/2024–25, दिनांकः 20.02.2025, पत्र संख्या–1905/02/प्रशा0/MSU/2024–25, दिनांकः 16.03.2025, पत्र संख्या–70/02/प्रशा0/एम0एस0यू0/2025–26, दिनांकः 18.04.2025 एवं पत्र संख्या– 230/02/प्रशा0/एम0एस0यू0 /2025–26, दिनांकः 09.05.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विश्वविद्यालय परिनियम की धारा 13.22 के आलोक में अनुदानित महाविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रम एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में नियुक्त अनुमोदित प्राचार्य, शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, अनुमोदित प्रबन्ध समिति का पत्र, प्राचार्य/शिक्षकों के वेतन भुगतान का प्रमाण–पत्र (प्राचार्य/शिक्षक के पासबुक की एक वर्ष की प्रमाणित प्रति), AISHE प्रमाण–पत्र (सत्र 2023–24), महाविद्यालय में अध्ययनरत् समस्त छात्रों का समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण का प्रमाण–पत्र इत्यादि विश्वविद्यालय में दिनांक : 10.06.2025 तक सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता) को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र के क्रम में अध्यक्ष, सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेजेस वेलफेयर एसोसिएशन, उ0प्र0 द्वारा पत्र दिनांक 19.05.2025 प्रेषित किया गया। उक्त पत्र को विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 28.05.2025 में प्रस्ताव संख्या–04.01 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् निश्चय किया गया है :–

- जिन महाविद्यालयों द्वारा नियुक्त शिक्षक, प्राचार्य, प्रबन्ध समिति एवं अन्य विवरण सम्बन्धित पत्रावली विश्वविद्यालय में प्रेषित की गई है उन महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में प्रवेश पंजीकरण खोल दिये जाये तथा जिन महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय के पत्र के क्रम में अभी तक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई है। उन्हें अंतिम अवसर प्रदान करते हुये दिनांक 10.06.2025 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने हेतु इस चेतावनी के साथ पत्र निर्गत किया जाये कि वह निर्धारित तिथि तक पत्रावली प्रस्तुत करा दे अन्यथा यह माना जायेगा कि सम्बन्धित महाविद्यालय प्रवेश हेतु इच्छुक नहीं है। उक्त तिथि के बाद ऐसे महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पंजीकरण किसी भी दशा में न खोला जाये।
- महाविद्यालयों से प्राप्त पत्रावलियों का विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति से परीक्षण उपरान्त इंगित कमियों का पत्र सम्बन्धित महाविद्यालयों को इस आशय से निर्गत किया जाये कि महाविद्यालय दो माह में कमियों को पूर्ण कराते हुये सम्बन्धित अभिलेख विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा समिति गठित कराकर महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आलोक में भौतिक परीक्षण करा लिया जाये।

कार्यपरिषद द्वारा किये गये उक्त निश्चय के आलोक में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि :–

1. जिन महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गई है। उन्हें अंतिम अवसर प्रदान करते हुये निर्देशित किया जाता है कि वह महाविद्यालय नियुक्त अनुमोदित प्राचार्य, शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, अनुमोदित प्रबन्ध समिति का पत्र, प्राचार्य/शिक्षकों के वेतन भुगतान का प्रमाण–पत्र (प्राचार्य/शिक्षक के पासबुक की एक वर्ष की प्रमाणित प्रति), AISHE प्रमाण–पत्र (सत्र 2023–24), महाविद्यालय में अध्ययनरत् समस्त छात्रों का समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण का प्रमाण–पत्र इत्यादि दिनांक 10.06.2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में यह

मानते हुये कि महाविद्यालय शैक्षिक सत्र 2025–26 में संचालन का इच्छुक नहीं है, ऐसे महाविद्यालयों में प्रवेश की अनुमति किसी भी दशा में प्रदान नहीं की जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय का होगा।

2. ऐसे महाविद्यालय/पाठ्यक्रम जिनमें शैक्षिक सत्र 2025–26 में सम्बद्धता प्रदान की गई है। उन महाविद्यालयों द्वारा शिक्षकों एवं प्रबन्ध समिति (यथास्थिति) के अनुमोदन के बाद ही प्रवेश पोर्टल खोला जा सकेगा। ऐसे महाविद्यालयों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि उल्लिखित कमियों के साथ ही सम्बद्धता पत्र में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अविलम्ब समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को दिनांक 10.06.2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में पंजीकरण पोर्टल बन्द हो जाने पर ऐसे महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों प्रवेश हेतु पंजीकरण पोर्टल किसी भी दशा में नहीं खोला जायेगा। ऐसे महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में भी पत्र के माध्यम से सूचित किया जा चुका है।

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, जैसाकि आप अवगत है कि शैक्षिक सत्र 2025–26 में उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश पंजीकरण प्रक्रिया अपनायी जा रही है, जिसकी मानिटरिंग शासन द्वारा केंद्रीकृत रूप से की जा रही है। प्रवेश पोर्टल पर पंजीकरण हेतु विश्वविद्यालय स्तर से तिथि विस्तारण संभव नहीं होगा। कृपया विश्वविद्यालय द्वारा जारी समय–सारणी के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में स्वयं उत्तरदायी होगे।

भवदीय

(वीरेन्द्र कुमार मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. परीक्षा नियंत्रक।
02. उपकुलसचिव।
03. सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)।
04. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।

सहायक कुलसचिव